

उत्तराखण्ड के 1800 गाँवों में अब रेगुलर पुलिस सँभालेगी कानून-व्यवस्था

चर्चा में क्यों?

2 जनवरी, 2023 को उत्तराखण्ड के अपर गृह सचिव रविधर्मि अग्रवाल ने बताया कि राज्य के 1800 राजस्व गाँवों में कानून व्यवस्था अब रेगुलर पुलिस सँभालेगी। राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर इन गाँवों को रेगुलर पुलिस के अधीन करने के लिये अधिसूचिती कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- अपर गृह सचिव रविधर्मि अग्रवाल ने बताया कि राज्य के पर्वतीय क्शेत्रों में लगभग 7500 गाँव ऐसे हैं, जहाँ पर कानून-व्यवस्था का जमिमा राजस्व पुलिस के पास है। लेकिन अब वर्षों पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर सरकार इन गाँवों को रेगुलर पुलिस के अधीन लाने जा रही है। इन गाँवों में नयिमति पुलिस व्यवस्था होने से अपराध व असामाजिक गतिविधियों में कमी आएगी।
- राज्य में रेगुलर पुलिस की कानून-व्यवस्था के अंतर्गत पहले चरण में 52 थाने और 19 पुलिस चौकियों का सीमा वसितार किया जाएगा।
- दूसरे चरण में 6 नए थाने व 20 पुलिस चौकियों का गठन किया जाएगा। इसके तहत नए थाने व चौकियों का गठन कर लगभग 1444 राजस्व ग्राम नयिमति पुलिस व्यवस्था के अधीन करने की प्रकथिया जल्द पूरी की जाएगी।
- उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से नयिमति पुलिस व्यवस्था के लिये अधिसूचिती राजस्व गाँवों में देहरादून ज़िले के 4, उत्तरकाशी के 182, चमोली के 262, टहिरी के 157, पौड़ी के 148, रुद्रप्रयाग के 63, नैनीताल के 39, अल्मोड़ा के 231, पथौरागढ़ के 595, बागेश्वर के 106 एवं चंपावत के 13 गाँव शामिल हैं।
- ज्ञातव्य है कि अंकता भंडारी हत्याकांड में राजस्व पुलिस पर उठे सवाल के बाद सरकार ने इसे रेगुलर पुलिस के अधीन करने का बड़ा नरिणय लिया है।
- दरअसल, उत्तराखण्ड को तीन क्शेत्रों में डविइड किया गया है। इन तीनों में अलग-अलग अधनियिम लागू होते हैं, जो राजस्व अधिकारियों को गरिफ्तारी और जाँच का अधिकार देते हैं। पहला क्शेत्र है कुमाऊँ और गढ़वाल डविीजन की पहाड़ी पट्टी। दूसरा, टहिरी और उत्तरकाशी ज़िले की पहाड़ी पट्टी और तीसरा क्शेत्र है देहरादून ज़िले का जौनसार-बावर क्शेत्र।